



प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओं के पोर्टल पर प्रविष्टी करने की तिथि के संबंध में।

---/ /---

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक-एफ 37-2/2015/20-3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की विभागीय मान्यता/अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु मान्यता नियम 2017 प्रसारित कर जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

शासकीय/अशासकीय संस्थाएँ जिनको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु नवीन मान्यता/अतिरिक्त संकाय एवं 2021-22 हेतु मान्यता नवीनीकरण प्रदाय की गई है। ऐसी संस्थाओं को सम्बद्धता शुल्क के ऑनलाईन भुगतान हेतु कार्शलयीन पत्र क्रमांक /2368-69 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा दिनांक 15.09.2021 तक का समय प्रदाय किया गया था उक्त तिथि में 25.09.2021 तक की वृद्धि की जाती है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 15/09/2021

पृष्ठा.क्रमांक/2379 /संबद्धता/2021

प्रति भिदि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर संचालक वित्त/परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं शासकीय संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदाय किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल